

26/5/20

वकील वादी / उभयपक्ष उप० । वकील वादी ने प्रा०  
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~मेड प्रेस~~ में खारिज  
किए जाने का निवेदन किया । अतः पत्रावली को  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली  
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल  
दफ्तर हो । वादी तए गिरे से वाद पेश  
करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे ।

✓